न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–6/2018/टोंक (2018/00006)

1. प्रेमचंद पुत्र कल्ला, जाति कंजर, निवासी ग्राम शोप, तह0 उनियारा, जिला टोंक ।
2. कल्ला पुत्र परसा, जाति कंजर, निवासी ग्राम शोप, तह0 उनियारा, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नायब तहसीलदार, शोप, तह0 उनियारा, जिला टोंक ।
2. कौशल्या पत्नि ओमी कंजर, नि0 शोप हाल चौरू, तह0 उनियारा, जिला टोंक ।
3. करण पुत्र ओमी कंजर, नि0 शोप हाल चौरू, तह0 उनियारा, जिला टोंक ।
4. सपना पुत्री ओमी कंजर, नि0 शोप हाल चौरू,तह0 उनियार, जिला टोंक ।
5. परवनी पुत्री ओमी कंजर, नि0 शोप हाल चौरू, तह0 उनियारा, जिला टोंक

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, शोप, जिला टोंक दिनांक 27.11.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 01/2017.

उपस्थितः–

1. श्री रोहित सोनी एवं श्री विक्रमसिंह, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री बी0एस0 शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5.

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2018

अपीलांट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार, शोप, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत क

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 2 कौशल पत्नि ओमी कजर, नि0 शोप हाल चौरू, तह0 उनियारा ने नायब तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मृतक गोगल्या पुत्र सुन्दरा कंजर क विरासत किये जाने बाबत् पेश किया । पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण को धारा 135 (2) के तहत दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारंभ की । दौराने सुनवाई प्रेमचंद व कल्ला कंजर ने गोगल्या की विरासत बाबत् प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे जिला कलक्टर, टोंक ने तहसीलदार को कार्यवाही हेतु भिजवाया । तत्पश्चात् तहसीलदार, शोप ने प्रकरण में सुनवाई कर निर्णय दिनांक 27.11.2017 द्वारा प्रार्थिया कौशल्या का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गोगल्या पुत्र सुन्दरा कंजर की विरासत मृतक ओमी दत्तक गोगलिया कंजर के जीवित वारिसान उसकी पत्नी कौशल्या व पुत्र करण एवं पुत्रियां सपना व परवनी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स उपस्थित । अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है । अपीलांट्स को नोटिस जारी करने बाबत् अधी0न्याया0 के निर्णय में कहीं भी उल्लेख नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने उक्त कथन के संबंध में आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (1) पेज 131, आर0एल0डब्ल्यू0 2004 (3) पेज 1688, आर0आर0डी0 2002 पेज 65 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के हक में विरासत तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये है किन्तु प्रार्थना पत्र पेश करने वाली कौशल्या, करण, परवनी के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये है । अधी0न्याया0 ने जिस आधार पर स्व0 ओमी को दत्तक पुत्र माना है उसमें गोद लेने व देने की साक्ष्य / गोदनामा भी नहीं थी परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने ओमी को दत्तक पुत्र मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को नामांतकरण की समरी कार्यवाही में दत्तक पुत्र के संबंध में निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है । दत्तक पुत्र जैसे जटिल विषयों के निस्तारण का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय

को है । अधी0न्याया0 ने अपने अधिकार क्षैत्र का दुरूपयोग कर आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश अपास्त किया जावे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2017 पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांटस को एकपक्षीय निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.1.2018 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर अपीलांट उप–तहसील शोप में जाकर नकल हेतु दिनाक 4.1.2018 को आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने के अपीलांट ने अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि खातेदार गोगल्या पुत्र सुन्दरा कंजर ने रेस्पो0 के पति व पिता ओमी पुत्र कल्याणा को गोद लिया था । ओमी की मृत्यु दिनांक 10.10.2004 को हो चुकी है । ओमी खातेदार गोगल्या का गोदपुत्र होने से ओमी की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के नाम विरासत के आदेश विधिसम्मत् रूप से पारित किये गये है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि वे खातेदार गोगल्या के विधिक वारिसान है । निवार्चक नामावली में ओमी के पिता का नाम गोगलिया दर्ज है । इसी प्रकार ओमी के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.5.2009 में भी ओमी के पिता का नाम गोगलिया दर्ज है । सजरा ग्राम पंचायत एवं राशनकार्ड में ओमी के पिता का नाम गोगलिया दर्ज है । इन दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया सिद्ध है कि रेस्पो0 के पति एवं पिता ओमी की वल्दियत गोगलिया दर्ज है जो यह सिद्ध करती है कि गोगलिया ने अपने जीवनकाल में ओमी को गोद लिया था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक खातेदार गोगलिया की विरासत रेस्पो0 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् होने से इसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांटस एवं रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते

है । अपीलांट्स ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । अतः हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का मूल खातेदार गोगलिया पुत्र सुन्दरा कंजर था । रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 मृतक ओमी की पत्नि एवं पुत्रियां है। रेस्पो0 का कथन रहा है कि खातेदार गोगलिया ने रेस्पो0 के पति एवं पिता को गोद लिया था जिसके आधार पर रेस्पो0 मृतक खातेदार गोगलिया के विधिक वारिसान है । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष यद्यपि गोदनामा के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है किन्तु अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों यथा ओमी का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, निर्वाचक नामावली, ग्राम पंचायत का सजरा प्रमाण पत्र एवं खसरा गिरदावरियों की प्रतिया पेश की है जिनमें रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पति एवं पिता ओमी की वल्दियत गोगलिया अंकित है । इसके विपरीत अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो अपीलांट्स मृतक खातेदार गोगलिया के विधिक वारिसान है । यद्यपि यह सही है कि रेस्पो0 ने गोगलिया द्वारा ओमी को गोद लिये जाने के संबंध में गोदनामा संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है किन्तु अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से मृतक ओमी खातेदार गोगलिया का पुत्र सिद्ध होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जबकि दूसरी ओर अपीलांट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज / साक्ष्य गवाहन प्रस्तुत नहीं किये है जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि वे गोगल्या के विधिक वारिसान होने से अपीलांट भी प्रभावित हितबद्ध पक्षकार है। इसके अतिरिक्त ओमी की जायन्दा माता कल्लो पत्नि कल्याणा कंजर ने भी अपने पुत्र को सामाजिक रीति रिवाजों से गोगलिया को गोद दिया जाना स्वीकार किया है तथा ओमी के सगे भाई–बहिनों ने भी ओमी को गोगलिया के गोद जाना स्वीकार किया है। अधी0न्याया0 ने प्रकरण विवादित होने से धारा 135(2) के तहत दर्ज कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अपीलांट चाहे तो सक्षम स्तर पर जरिये वाद वांछित राहत के क्रम में चाराजोही कर सकते है।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा नायब तहसीलदार, शोप जिला टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 6/2018 (2018/00006) बउनवानी प्रेमचंद बनाम नायब तहसीलदार, शोप को अपास्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार, शोप जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 1/2017 बउनवान श्रीमती कौशल्या बनाम प्रेमचंद में पारित निर्णय दिनांक 27.11. 2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.12.03 16:37:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: